

87

101

[PART I - Sec. 13 of appo.]

8	9	10	11	12
Not applicable.	2 years.	By direct recruitment, failing which by transfer.	By transfer from other Government Departments/ Offices of persons holding similar posts.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of:— (i) Director, Computer Centre —Chairman. (ii) Joint Director, Computer Centre —Member. (iii) Joint Director, Computer Centre —Member. (iv) Deputy Director, Computer Centre —Member. (v) Administrative Officer, Computer Centre —Member.

1	2	3	4	5	6	7
13. Messenger	3 (Note: The number of posts is subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted)	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable.	Not exceeding 25 years (relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	8th standard pass.

8	9	10	11	12
Not applicable.	2 years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of:— (i) Director, Computer Centre —Chairman. (ii) Joint Director, Computer Centre. —Member. (iii) Joint Director, Computer Centre. —Member. (iv) Deputy Director, Computer Centre. —Member (v) Administrative Officer, Computer Centre. —Member.

Note:—The crucial date for determining the age limit specified in column 6 shall be the closing date for receipt of application of candidates in India (other than those in the Union Territories of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case of recruitment to be made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which candidates are asked to submit the names.

[No.A.12018/1/  
S. P. SHARMA, Un



8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By transfer, failing which by direct recruitment.	By transfer on the basis of the result of a Test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to the competence considered essential in drivers of staff cars, from amongst qualified Group 'D' employees of the Computer Centre who possess qualifications prescribed in column 7.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:— (i) Director, Computer Centre—Chairman. (ii) Joint Director, Computer Centre.—Member. (iii) Deputy Director, Computer Centre.—Member. (iv) Deputy Adviser, Planning Commission.—Member. (v) Administrative Officer, Computer Centre.—Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
9. Peon	3 (Note: The number of posts is subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted).	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	Not exceeding 25 years (relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	8th standard pass.

8	9	10	11	12	13	
Not applicable	2 years	By direct failing transfer.	recruitment, which by	By transfer of suitable persons from other Government Departments/Offices holding similar posts.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of:— (i) Director, Computer Centre.—Chairman. (ii) Joint Director, Computer Centre.—Member. (iii) Joint Director, Computer Centre.—Member. (iv) Deputy Director, N.S.S.O.—Member. (v) Administrative Officer, Computer Centre.—Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
10. Safaiwala	1 (Note: The number of posts is subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted).	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	Not exceeding 25 years (relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	4th standard pass

11-Sec. 3(1)

Accountant.

Telephone Operator

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Motor Car Driver

2	3	4	5	6	7
1	General Central Service (Group 'C' Non-Ministerial Non-Gazetted).	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Selection	Not exceeding 25 years (relaxable for Government servants up to 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Essential: (i) Degree of a recognised University. (ii) 5 years' experience in the Accounts Department. Desirable: Subordinate Accounts Service Examination pass. (i) Matric or equivalent qualification. (ii) Knowledge of operation of Telephone Switch Board including the PBX Exchange Board.
1	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial Non-Gazetted).	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	Not applicable	Not exceeding 25 years (relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	
9	10	11	12	13	
2 years	By deputation, failing which by direct recruitment.	By deputation of suitable Upper Division Clerks possessing qualifications prescribed in Column 7 working in Accounts Offices. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:— (i) Director, Computer Centre.—Chairman. (ii) Joint Director, Computer Centre.—Member. (iii) Deputy Director, Computer Centre.—Member. (iv) Deputy Adviser, Planning Commission.—Member. (v) Administrative Officer, Computer Centre.—Member.	Not applicable	
2 years	By direct recruitment, failing which by transfer.	By transfer of suitable persons possessing the qualifications prescribed in column 7 and working in similar or equivalent grades in other Central Government offices.	Group 'G' Departmental Promotion Committee consisting of:— (i) Director, Computer Centre.—Chairman (ii) Joint Director, Computer Centre.—Member. (iii) Deputy Director, Computer Centre.—Member. (iv) Deputy Adviser, Planning Commission.—Member. (v) Administrative Officer, Computer Centre.—Member.	Not applicable.	
2	3	4	5	6	7
1	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial Non-Gazetted).	Rs. 260-6-326-EB-8-350.	Not applicable	23-30 years	Essential: (i) Possession of a valid driving licence for motor cars. (ii) Knowledge of motor mechanics and experience of driving a motor car for at least 5 years. Desirable : 8th standard pass.

1	2	3	4	5	6	7
4. Punch Card Supervisor.	6 (Note: The number of posts is subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group "C" (Non-Ministerial Non-Gazetted).	Rs. 330-6-370-10 400-EB-10-480/-	Selection	Not Applicable	Not applicable
5. Punch Card Operator.	54 (Note: The number of posts is subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial Non-Gazetted.)	Rs. 260-6-290- EB-6-326-8-366- EB-8-390-10-400 plus Special Pay of Rs. 20/-.	Not applicable.	Not exceeding 25 years (relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Essential: (i) Matric or equivalent qualifications. (ii) Should have passed Punching Test in International Computer Limited Hand Punching Machine with a speed of 42 cards in 30 minutes and in the case of International Business Electronic Machine should be 84 cards in 30 minutes.
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	2 years	By Promotion	Promotion : Promotion from the cadre of Punch Card Operator with a minimum service of 4 years. in the cadre.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Confirmation) consisting of :— (i) Director Computer Centre—Chairman. (ii) Joint Director Computer Centre—Member. (iii) Deputy Director, Computer Centre —Member. (iv) Deputy Adviser, Planning Commission —Member. (v) Administrative Officer, Computer Centre—Member.	Not applicable	
Not applicable.	2 years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee Consisting of:— (i) Director, Computer Centre —Chairman (ii) Joint Director, Computer Centre. —Member (iii) Deputy Director, Computer Centre —Member. (iv) Deputy Adviser, Planning Commission —Member. (v) Administrative Officer, Computer Centre—Member.	Not applicable	

3(i) - भाग 3(i)]

	2	3	4	5	6	7
Processing 19 Note : The num- ber of posts is sub- ject to varia- tion depen- dent on work- load.	19	General Central Service Group "C" (Non-Ministrial Non-Gazetted)	Rs. 330-10-380 EB-12-500-EB- 15-560/-	Selection	Not exceeding 26 years (relaxable for Govt. servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Degree with Economics or Statistics or Mathematics as a subject from any recognised University.
1	1	General Central Service Class III (Non-Gazetted Non-Ministerial)	Rs. 330-10-380- EB-12-500-EB- 15-560/-	Not Applicable	Not exceeding 35 years	(a) Degree of a recognised University or equivalent.  (b) Degree or equivalent diploma in Library Science of a recognised university or institution.  (c) Should have studied the language concerned upto at least High School level with a medium of instruction or as a subject.

SCHEDULE

	8	9	10	11	12	13
Circumstance in which UPSC is to be consti- tuted in making recruitment	No.	2 years	(i) 50% by promotion, failing which by deputation and (ii) 50% by direct recruitment.	Promotion : Promotion from the cadre of Punch Card Operator with a minimum service of 5 years in the cadre Or Punch Card Supervisor with a minimum service 3 years in the cadre. Deputation : Officers working in similar posts in the pay scale of Rs. 330-560 in other Government offices. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.)	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) con- sisting of :— (i) Director, Computer Centre—Chairman. (ii) Joint Director Com- puter Centre—Mem- ber. (iii) Deputy Director, Computer Centre— Member. (iv) Deputy Adviser, Planning Commission —Member. (v) Administrative Offi- cer, Computer Centre —Member.	Not applicable
Not applicable	Not applicable	2 years	By direct recruitment fail- ing which by transfer on deputation.	By transfer on deputation of Upper Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service possessing the qualification laid down under column 7. (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— (i) Director, Computer Centre—Chairman. (ii) Joint Director Com- puter Centre—Mem- ber. (iii) Deputy Director, Computer Centre —Member. (iv) Deputy Adviser, Planning Commission —Member. (v) Administrative Offi- cer, Computer Centre —Member.	Not applicable

## SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection posts	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Junior Programme Assistant.	15 Note—The number of posts is subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group "C" (Non-Ministrial Non Gazetted).	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700	Selection	Not applicable	Not applicable

## SCHEDULE

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion /deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age : No. Educational Qualification : No.	2 years.	By promotion, failing which by transfer on deputation.	Promotion : Promotion from the cadre of Data Processing Assistant/Tape Librarian with a minimum service of 4 years in the cadre or 7 years combined service in the cadre of Data Processing Assistant/Tape Librarian and Punch Card Supervisor with a minimum service of 3 years in the cadre of Data Processing Assistant/Tape Librarian. They will be required to pass the Aptitude Test to be held by the Computer Centre- Deputation : Officers working in similar posts in the pay scale of Rs. 425-700 in other Government Offices. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Promotion & confirmation changing of probation etc.), consisting of : (i) Director, Computer Centre—Chairman. (ii) Joint Director Computer Centre—Member. (iii) Deputy Director, Computer Centre—Member. (iv) Deputy Adviser, Planning, Commission—Member. (v) Administrative Officer Computer Centre—Member.	Not applicable

13  
लागू नहीं होता

9	10	11	12	13
2 वर्ष	सीधी भर्ती, से ऐसा न होने पर स्थानांतरण से	स्थानांतरण द्वारा अन्य सरकारी विभागों/कार्यालयों के इसी प्रकार के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा।	ग्रुप 'घ' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्न व्यक्ति होंगे :— (i) निदेशक, संगणक केन्द्र — अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक, संगणक केन्द्र—सदस्य (iii) संयुक्त-निदेशक, संगणक केन्द्र —सदस्य (iv) उप निदेशक, संगणक केन्द्र—सदस्य (v) प्रशासन अधिकारी, संगणक केन्द्र — सदस्य	लागू नहीं होता
2 वर्ष	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
2 वर्ष	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
2 वर्ष	सीधी भर्ती से	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
2 वर्ष	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
2 वर्ष	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
2 वर्ष	सीधी भर्ती से	लागू नहीं होता		

कालम 6 निर्दिष्ट आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। संघ शासित प्रदेशों में रहने वाले आवेदकों (अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेशों में रहने वाले आवेदकों को छोड़कर) राजगार कार्यालय के माध्यम से होने वाली नियुक्ति के मामले में आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जिस तारीख तक राजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

[सं० ए-12018/1/78-भा०सां०सं०-स्था०-1]  
एस० पी० शर्मा, अवर सचिव

**MINISTRY OF PLANNING**  
**(Department of Statistics)**

New Delhi, the 8th July, 1980

In exercise of the powers conferred by the Article 309 of the Constitution, and in supersession of the Computer Centre (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1971 and the Department of Statistics, Computer Centre (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1971, the President hereby makes the following rules for the method of recruitment to Group 'C' and Group 'D' posts in the Computer Centre, Department of Statistics, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Computer Centre Group 'C' and Group 'D' (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1980.

2. Commencement.—These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

4. Classification and scales of Pay.—The classification and scales of Pay of the said posts, their classification and the scales of Pay attached thereto shall be as specified in columns 2 and 3 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person,—  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of the persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.



8	9	10	11	12
लागू नहीं होमे	2 वर्ष	स्थानांतरण से, ऐमा न होने पर सीधी भर्ती से।	कालम 7 में निर्दिष्ट अर्हताओं को पूरा करने वाले संगणक केन्द्र के योग्यताप्राप्त ग्रुप 'घ' कर्मचारियों में से स्टाफ कार ड्राइवरो के लिए जरुरी समझी जाने वाली जरुरी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त पद के लिए पावता की जांच करने हेतु रखे गये ड्राइविंग टेस्ट के परिणाम के आधार पर स्थानांतरण द्वारा।	ग्रुप 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्न व्यक्ति होंगे :— (i) निदेशक, संगणक केन्द्र—अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक संगणक केन्द्र—सदस्य (iii) उप निदेशक, संगणक केन्द्र—सदस्य (iv) उप सलाहकार योजना आयोग—सदस्य (v) प्रशासन अधिकारी संगणक केन्द्र—सदस्य

1	2	3	4	5	6	7	
9. चपरासी	3 (टिप्पणी :— पदों की संख्या कार्य-भार पर निर्भर करती है)	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'घ' (अराजपत्रित)	196-3-220-द०रो० 3-232	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक	नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है।)	8वीं कक्षा उत्तीर्ण
10. सफाई वाला	1 (टिप्पणी :— पदों की संख्या कार्य-भार पर निर्भर करती है)।	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	चौथी कक्षा उत्तीर्ण
11. फराश	1 (टिप्पणी : यथोपरि)।	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	वांछनीय : चौथी कक्षा उत्तीर्ण
12. चौकीदार	1 (टिप्पणी : यथोपरि)।	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि
13. संदेशवाहक	3 (टिप्पणी :— यथोपरि)।	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि	8वीं कक्षा उत्तीर्ण

[--खण्ड 3(i)]

1	2	3	4	5	6	7
मोटरकार	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा (ग्रुप 'ग' अलिपिक- वर्गीय अराजपत्रित)	425-15-500 द०रो०-15-560 20-700 रु०	चयन प्रकरण	25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जागी किये गये अनुदेशों अथवा आदेशों के अनु- सार सरकारी कर्मचारियों को 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है।)	अनिवार्य :-- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व- विद्यालय की डिग्री। (ii) लेखा विभाग में 5 वर्ष का अनुभव वांछनीय : अधीनस्थ लेखासेवा की परीक्षा पास हो।
टेलीफोन मोटर	1	यथोपरि	260-6-290 द०रो०-6-326- 8-366 द० रो० 8-390-10-400	लागू नहीं होता	यथोपरि	(i) मैट्रिक या उसके समकक्ष योग्यता। (ii) पी० वी० एक्स एक्सचेंज तथा टेलीफोन स्विच बोर्ड के संचालन की जानकारी।

उसके समकक्ष योग्यता

विचित्र टैस्ट पास  
होना चाहिए

नल कम्प्यूटर्स लिमि-

पंचिंग मशीन पर

ट में 42 कार्डों की

तथा इंटरनेशनल

मशीन पर यह प्रति 30

4 कार्डों होनी चाहिए।

13

लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति से, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	लेखा कार्यालयों में कार्यरत कालम 7 से निदिष्ट अर्हताएं रखने वाले उपयुक्त उच्च श्रेणी लिपिकों की प्रतिनियुक्ति द्वारा (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	ग्रुप 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्न व्यक्ति होंगे :-- (i) निदेशक, संगणक केन्द्र —अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक, संगणक केन्द्र—सदस्य (iii) उप निदेशक, संगणक केन्द्र, —सदस्य (iv) उपसलाहकार, योजना आयोग —सदस्य (v) प्रशासन अधिकारी, संगणक केन्द्र — सदस्य	लागू नहीं होता।
नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती से, ऐसा न होने पर स्थानांतरण द्वारा।	कालम 7 में निदिष्ट अर्हताएं रखने वाले और अन्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में इसी प्रकार के या उसके समकक्ष ग्रेड में कार्यरत उपयुक्त व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा।	—यथोपरि—	लागू नहीं होता

मोटरकार  
मोटर

2	3	4	5	6	7	
मोटरकार मोटर		सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ग' (अलिपिक- वर्गीय अराजपत्रित)।	260-6-326 द०रो०-8-350 रु०	लागू नहीं होता	23-30 वर्ष	अनिवार्य :-- (i) मोटरकार चलाने का वैध लाइ- सेंस होना चाहिए। (ii) मोटर मैकेनिकी की जानकारी तथा मोटरकार चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। वांछनीय : 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण।

	2	3	4	5	6	7
4. पंच कार्ड पर्यवेक्षक	6	सामान्य केन्द्रीय सेवा (टिप्पणी :— पदों की संख्या कार्य-भार पर निर्भर करती है)	330-6-370-10-400-द०रो० 10-480-र०	प्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5. पंच कार्ड अपरेटर	54	सामान्य केन्द्रीय सेवा (टिप्पणी :— पदों की संख्या कार्य-भार पर निर्भर करती है)	260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400 र० और साथ ही विशेष बेतन 20/- र०	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार के द्वारा जारी किए गये अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है)।	अनिवार्य :— (i) मैट्रिक या उसके समकक्ष योग्यता वाले। (ii) की पंचिंग टेस्ट किया होना (इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स निगम टेड हैड पंचिंग मशीन पर 30 मिनट में 42 कार्ड गति तथा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर यह गति 30 मिनट में 84 कार्ड होनी चाहिए)।
	8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति से		पदोन्नति : संवर्ग के उन पंच-कार्ड अपरेटरों में से पदोन्नति जिनकी संवर्ग में कम से कम 4 वर्ष की सेवा हो।	ग्रुप 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति स्थायी करने के लिए) जिसमें निम्न व्यक्ति होंगे :— (i) निदेशक, संगणक केन्द्र—अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक, संगणक केन्द्र—सदस्य (iii) उप-निदेशक, संगणक केन्द्र—सदस्य (iv) उप-सलाहकार, योजना आयोग—सदस्य (v) प्रशासन अधिकारी, संगणक केन्द्र—सदस्य	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती से		लागू नहीं होता	ग्रुप 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्न व्यक्ति होंगे। (i) निदेशक, संगणक केन्द्र—अध्यक्ष (ii) संयुक्त-निदेशक, संगणक केन्द्र—सदस्य (iii) उपनिदेशक, संगणक केन्द्र—सदस्य (iv) उप-सलाहकार, योजना आयोग—सदस्य (v) प्रशासन अधिकारी, संगणक केन्द्र—सदस्य	लागू नहीं होता।

टेलीफोन  
अपरेटर

लागू नहीं

2	3	4	5	6	7
19	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'सी' (अलिपिकवर्गीय अराजपत्रित)	330-10-380- द० रो०-12- 500-द० रो० -15-560	प्रवरण	26 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी को 35 वर्ष की आयु तक छूट है।)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी अथवा गणित में से एक विषय में डिग्री हो।
1	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-III (अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय)	330-10-380- द० रो०-12-500- द० रो०-15-560	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय की डिग्री या उसके समकक्ष। (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय या संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में डिग्री या उसके समकक्ष डिप्लोमा। (ग) शिक्षा का माध्यम अथवा एक विषय के रूप में कम से कम हाई स्कूल स्तर तक संबंधित भाषा में अध्ययन किया हो।

9	10	11	12	13
2 वर्ष	(i) 50% पदोन्नति से, ऐसा होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और (ii) 50% सीधी भर्ती से।	पदोन्नति :—उन पंचकाईं ग्राप-रेटों के संवर्ग में से पदोन्नति करनी है जिनकी उक्त संवर्ग में कमसे कम पांच वर्ष की सेवा हो या उक्त संवर्ग में पंचकाईं पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सेवा हो। प्रतिनियुक्ति :—अन्य सरकारी कार्यालयों में 330-560 रु० के बतनमान में उसी प्रकार के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों में से। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	ग्रुप 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायी करने के लिए) जिसमें निम्न व्यक्ति होंगे। (i) निदेशक, संगणक केन्द्र—अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक, संगणक केन्द्र—सदस्य (iii) उप-निदेशक, संगणक केन्द्र—सदस्य (iv) उप-सलाहकार, योजना आयोग—सदस्य (v) प्रशासन अधिकारी संगणक केन्द्र—सदस्य	लागू नहीं होता।
2 वर्ष	(1) सीधी भर्ती से, ऐसा होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	कालम 7 में निर्दिष्ट अर्हताओं वाले केन्द्रीय सचिवालय (कलक) लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी लिपिकों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	ग्रुप 'ग' के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायी करने के लिए) जिसमें निम्न व्यक्ति होंगे। (i) निदेशक, संगणक केन्द्र—अध्यक्ष (ii) संयुक्त-निदेशक, संगणक केन्द्र—सदस्य (iii) उप-निदेशक, संगणक केन्द्र—सदस्य (vi) उप-सलाहकार, योजना आयोग—सदस्य (v) प्रशासन अधिकारी, संगणक केन्द्र—सदस्य	लागू नहीं होता।

## अनुसूची 4

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अहंताएं	वर्ती के लिए अपेक्षित अहंताएं	वर्ती के लिए अपेक्षित अहंताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. कनिष्ठ प्रोग्राम सहायक	15 (टिप्पणी पदों की संख्या कार्य-भार पर निर्भर करती है। इसमें परिवर्तन हो सकता है)।	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ग' (अलिपिक-वर्गीय अराजपत्रितक)	425-15-500- द०रो०-15- 560-20-700 र०	प्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
क्या सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अहंताएं पदोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती पद्धति सीधी भर्ती से या पदोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से भर्ती किए जाने पर वे गेड जिनमें पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किए जाने हैं	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है	वे परिसरित्यो भर्ती करने में लोक सेवा आयोग परामर्श करना		
आयु—नहीं शैक्षिक अहंता—नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा		पदोन्नति : जिन्होंने समक विधायन सहायक टैप लाइब्रेरियन के संवर्ग में कम से कम 4 वर्ष की सेवा पूरी की हो अथवा समक विधायन सहायक/टिप लाइब्रेरियन तथा पंच काई पर्यवेक्षक के संवर्ग में 7 वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो और साथ ही समक विधायन सहायक/टिप लाइब्रेरियन के संवर्ग में कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो, उनकी पदोन्नति करके। उन्हें संगणक केन्द्र द्वारा ली जाने वाली अभिरुचि परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।	ग्रुप 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए व स्थायी करने के लिए तथा परिवीक्षा समाप्त करने आदि के लिए) जिसमें निम्न व्यक्ति होंगे: (I) निदेशक, संगणक केन्द्र—अध्यक्ष (II) संयुक्त निदेशक, संगणक केन्द्र—सदस्य (III) संच निदेशक, संगणक केन्द्र—सदस्य (IV) उप-सलाहकार, योजना आयोग—सदस्य (V) प्रशासन अधिकारी संगणक केन्द्र—सदस्य	लागू नहीं होता		
				प्रतिनियुक्ति : अन्य सरकारी कार्यालयों में 425-700 के वेतनमान में इसी प्रकार से पदों पर कार्यरत कर्मचारियों में से (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।				

Officers in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

By order and in the name of the President.

[No. F. 2/6/80-FB-]

B. S. LAMBA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1980

सांकांनि० 959.—लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23 वां) की धारा 5 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि निधि में किए गए अभिदानों और अभिदाताओं के खातों में जमा रकमों पर 1980-81 में आठ प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज लगेगा।

[संख्या एफ० 6(2)-पी०डी०/80]

मंगलदास पाल, निदेशक (बजट)

New Delhi, the 30th August, 1980

G.S.R. 959.—In pursuance of section 5 of the Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968), the Central Government hereby notifies that during the year 1980-81, subscriptions made to the Fund and balances to the credit of the subscribers shall bear interest at the rate of eight per cent per annum.

[No. F. 6(2)-PD/80]

M. D. PAL, Director (Budget)

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1980

नि० 960.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संगणक केन्द्र (तृतीय श्रेणी एवं भर्ती नियम, 1971 तथा सांख्यिकी विभाग, संगणक केन्द्र (तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1973 का अधिग्रहण करते हुए संगणक केन्द्र, सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली में वर्ग 'ग' तथा वर्ग 'घ' के गैर-तकनीकी पदों की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए करते हैं. अर्थात् :—

शोर्षक तथा प्रारंभ :—(1) ये नियम संगणक केन्द्र वर्ग 'ग' तथा वर्ग 'घ' (गैर-तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1980 कहलायेंगे।

ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

वर्गीकरण तथा हेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके हेतनमान वे होंगे जो, उक्त अनुसूची के कालम 2 से

विनि, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि :—भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची विनिर्दिष्ट हैं।

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है या विवाह को संविदा करता है जिसका पति/पत्नी जीवित हो अथवा जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता है/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है तो उक्त पदों में से किसी भी पद पर नियुक्त नहीं होगा।

यदि ऐसे विवाह से सन्तुष्ट है कि, ऐसे व्यक्ति तथा विवाह करने वाले अन्य पद को स्वयं विधि के अन्तर्गत विवाह को अनुमति देती है। अन्य कारण हैं तो किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उन कारणों से जो लेखित किए जाएं व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के धारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

इन नियमों में से कोई भी नियम, इस धारे में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा।